

## कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी नरायनपुर (चुनार) मीरजापुर।

पत्रांक 158 /विधायक निधि/ई-निविदा/2026-27

दिनांक 11 मई, 2026

### सामग्री आपूर्ति हेतु-अल्पकालिक ई-निविदा की शर्तें


विकास खण्ड नरायनपुर के अन्तर्गत विधायक निधि योजनान्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं पर सामग्री की आपूर्ति हेतु वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0 पंजीकृत फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। सामग्री आपूर्ति के लिये निविदा निम्न शर्तें पूर्ण कर डाल सकती है।

- 1- [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर ई-निविदा के माध्यम से दिनांक 14.05.2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 24.05.2026 अपराह्न 4.00 बजे तक आन लाइन डाली जा सकती है।
- 2- निविदा दिनांक 25.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित सामग्री क्रय समिति के द्वारा ई-टेंडर खोला जायेगा।
- 3- निविदा फार्म एवं शपथ पत्र का प्रारूप इत्यादि वेबसाइट पर अपलोड है जिसे डाउन डोल किया जा सकता है।
- 4- निविदा फार्म के साथ निम्न पत्रों को स्वहस्ताक्षर अपलोड करना आवश्यक है:- 1.जी0एस0टी0 पंजीकरण नम्बर की प्रति, पैनकार्ड, रू0 100 के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, नवीनतम 01 पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार प्रमाण पत्र, प्राक्कलित सामग्री अंश धनराशि का 02 प्रतिशत अर्नेष्ट मनी की धनराशि का एन0एस0सी0/एफ0डी0 के रूप में जो खण्ड विकास अधिकारी नरायनपुर, मीरजापुर के पक्ष में बन्धक हो की प्रति।
- 5- जिस फर्म की दर सबसे कम होगी उसी फर्म को सामग्री आपूर्ति करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- 6- निविदा की दरों में समस्त देय करों (जी0एस0टी0 सहित) को सम्मिलित करके ही दर उपलब्ध कराया जाय।
- 7- जी0एस0टी0 का भुगतान सम्बन्धित फर्म स्वयं करेगी तथा उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देगी। साथ ही साथ कमिश्नर,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0 705 दिनांक 26.09.2018 के अनुसार 01 प्रतिशत की दर से एस0जी0एस0टी0 एवं 01 प्रतिशत की दर से सी0जी0एस0टी0 कुल 02 प्रतिशत की कटौती अधोहस्ताक्षरी/कार्यालय के द्वारा भुगतान के दौरान की जायेगी।
- 8- निविदा फार्म का शुल्क मु0 1000.00 रुपये है जो कार्यालय में नकद रूप में जमा करके 385 की रसीद ली जा सकती है या खण्ड विकास अधिकारी नरायनपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगा।
- 9- टेंडर स्वीकृति होने के उपरान्त 08 प्रतिशत धनराशि धरोहर (जमानत) के रूप में एन.एस.सी./एफ.डी. आदि के रूप में जो खण्ड विकास अधिकारी नरायनपुर के पदनाम से बंधक रहेगा जमा करना अनिवार्य होगा।
- 10- परियोजनाओं पर सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है।
- 11- टेंडर स्वीकृत होने के उपरान्त लिखित रूप में परियोजनाओं पर सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेश दिया जायेगा तथा कतिपय कारण से सामग्री की आपूर्ति लिया जाना सम्भव न होने पर तदनुसार टेंडर निरस्त माना जायेगा।
- 12- अधोहस्ताक्षरी द्वारा विना कारण बताये किसी भी समय निविदा निरस्त की जा सकती है।

क्र0सं0	परियोजना का नाम	प्रा0लागत	सामग्री ला0
01	कैलहट में विजय शंकर की गली से अनिल कुमार सिंह के घर तक आर0 सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	13.65	10.93
02	ग्राम खजुरौल में रामदुलारे सिंह के घर से नीता सिंह के जमीन तक इण्टरलाकिंग कार्य।	15.92	13.82

  
(अरमान अली)

अवर अभियन्ता (ग्रा0अ0वि0)  
नरायनपुर, मीरजापुर।

  
(रामराज कुशवाहा)  
खण्ड विकास अधिकारी  
नरायनपुर, मीरजापुर।